प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 04.09.2026

क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर ठगी के शिकार हुए पीड़ित को साइबर सेल थाना मेंहदावल पुलिस टीम ने दिलाई राहत, शत-प्रतिशत वापस कराई गई 1,00,000.00 रू की धनराशि ।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल **थाना मेंहदावल टीम** द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाई करते हुए आवेदक का मोबाइल खो जाने के बाद आवेदक के खाते से 1,00,000.00 रूपए की धोखाधड़ी कर साइबर ठगी की गयी , ठगी के शिकार हुए पीड़ित को शत-प्रतिशत 1,00,000.00 रुपये की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

पीड़ित का मोबाइल खो जाने के बाद आवेदक के खाते से 1,00,000.00 रूपए की धोखाधड़ी कर साइबर ठगी की गयी, पीड़ित रामदास पुत्र तेजई निवासी ग्राम डेडूआ, थाना मेंहदावल जनपद संतकबीर नगर से फ्रॉड हो जाने के उपरान्त हकीकत पता चलने पर पीड़ित को अहसास हुआ कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है । जिसमें पीड़ित द्वारा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से शिकायत संख्या – 33104260086772 दिनांक 20.04.2026 को पंजीकृत की गयी थी, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरक्षी संदीप कुमार गौतम, आरक्षी सौरभ कुमार द्वारा तत्काल संबंधित बैंक से संपर्क कर व तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से धनराशि को होल्ड कराया और विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आवेदक के खाते में धनराशि 1,00,000.00 रुपये वापस करा दी गयी । अपनी मेहनत की कमाई वापस पाकर पीड़ित ने पुलिस प्रशासन एवं साइबर टीम का सहृदय आभार व्यक्त किया है ।

साइबर सेल टीम –

प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, व0उ0नि0 राकेश कुमार, उ0नि0 संजय कुमार वर्मा, आरक्षी संदीप कुमार गौतम, आरक्षी सौरभ कुमार व आरक्षी अमित कुमार ।

जनता से अपील-

01. जनपद पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें ।
02. कोई व्यक्ति फोन पर रिश्तेदार या दोस्त बनकर पैसों की मांग करे, तो बिना उसकी पहचान की पुष्टि (वीडियो कॉल या अन्य माध्यम से) किए पैसे न भेजें।
03. साइबर अपराधी अक्सर आवाज बदलकर या भावनात्मक दबाव बनाकर ठगी करते हैं।
04. किसी भी संदिग्ध लेनदेन की शिकायत तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर अथवा cybercrime.gov.in पर दर्ज करें ।

इस पर पीड़ित व उसके परिजनों द्वारा थाना मेंहदावल पुलिस की भूरी भूरी प्रसंशा की गयी ।

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में, अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभरी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जय प्रकाश दुबे के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 630/2026 धारा 137(2),65(1),87 बीएनएस एवं धारा 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नाम पता शेखर उर्फ पन्ने पुत्र ज्ञानदास निवासी हरपुर बुदहट थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर को आज दिनाँक 04.09.2026 को विधियानी तिराहा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 13.07.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

***गिरफ्तार/बरामद करने वाले पुलिस बल का विवरण-* उ0नि0 श्री** विनोद कुमार यादव, म0हे0का0 संयोगिता, का0 अरुण कुमार, का0 विकास वर्मा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 505 वाहनों से 7,80,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 04.09.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 505 वाहनों से 7,80,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की बड़ी कार्यवाही, धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर रेलवे में फर्जी नौकरी दिलाने के मामले में 25,000 रुपये के इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में, अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभरी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जय प्रकाश दुबे के नेतृत्व में मु0अ0सं0 229/2025, धारा 420,467,506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित 25,000 रुपये के इनामिया वांछित अभियुक्त सोनू कुमार उर्फ संगम पुत्र संतोष कुमार निवासी ग्राम दारानगर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर को हड़िया पुल बस्ती से आज दिनाँक 04.09.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनाँक 18.03.2025 को वादी मुकदमा जयशंकर पुत्र नागेन्द्र सिंह निवासी गोरखल थाना कोतवाली खलीलाबाद की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्त के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से रेलवे में फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहा था तथा उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त- सोनू कुमार उर्फ संगम पुत्र संतोष कुमार निवासी ग्राम दारानगर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*-** उ0नि0 श्री धर्मनाथ, म0हे0का0 संयोगिता सिंह, का0 मोहित वर्मा।
एस0ओ0जी0- का0 दीपक सिंह, क0 सर्वेश मिश्रा।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आपराधिक विश्वासघात (पैसे लेकर भाग जाने) के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जय प्रकाश दुबे के नेतृत्व में मु0अ0सं0 812/2026, धारा 316(5) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त संदीप कुमार पुत्र राजपाल निवासी जोजूकला थाना जोजूकला जनपद चरखी दादरी राज्य हरियाणा को आज दिनाँक 04.09.2026 को रसूलाबाद मोड़ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***घटना का संक्षिप्त विवरण*-** विदित हो कि वादी श्री निलेश शाही पुत्र श्री कृष्ण मोहन निवासी 605 के शिवालानगर कॉलोनी मोहदीनपुर कैंट गोरखपुर द्वारा दिनाँक 02.09.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्त द्वारा वादी के पैसे लेकर भाग जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री ध्रुवनारायण यादव, हे0का0 मनोज कुमार सिंह, का0 धर्मेन्द्र कुमार।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की बड़ी कार्यवाही, मोबाइल के दुकान से समान लेकर धोखाधड़ी कर फर्जी पेमेंट करने वाले 02 अभियुक्त 17 अदद मोबाइल फोल्डर व 01 अदद घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में, अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभरी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जय प्रकाश दुबे के नेत्रृत्व में मु0अ0सं0 814/2025, धारा 318(4),352,351(3) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित 02 अभियुक्तगण 01. धर्मवीर पुत्र सुभाष निवासी काली जगदीशपुर लोहरइया 02. संदीप चौहान पुत्र सोमनाथ चौहान निवासी टुंगपार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को सुगरमिल रोड ओपेन जिम के पास से **17 अदद मोबाइल फोल्डर व 01 अदद घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल** के साथ आज दिनाँक 04.09.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अभियोग में **धारा 317(2) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनाँक 03.09.2026 को वादी मुकदमा त्रियुगी नरायण पुत्र वृजवली निवासी ऊनखास थाना कोतवाली खलीलाबाद की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्त के विरुद्ध मोबाइल की दुकान पर धोखाधड़ी करते हुए सामान लेकर फर्जी पेमेंट करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्तो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी का विवरणः-
17 अदद मोबाइल फोल्डर
01 अदद घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल नं0 UP58AN 6263

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री लालबिहारी निषाद, हे0का0 सम्पूर्णानन्द, का0 जितेन्द्र कुमार सोनी, का0 आदर्श कुमार।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की बड़ी कार्यवाही, मोबाइल की दुकान से सामान लेकर फर्जी पेमेंट करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार 17 अदद मोबाइल फोल्डर एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जय प्रकाश दुबे के नेतृत्व में मु0अ0सं0 814/2025, धारा 318(4),352,351(3) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित 02 अभियुक्तगण 01. धर्मवीर पुत्र सुभाष निवासी काली जगदीशपुर लोहरइया, 02. संदीप चौहान पुत्र सोमनाथ चौहान निवासी टुंगपार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को सुगरमिल रोड ओपेन जिम के पास से आज दिनाँक 04.09.2026 को 17 अदद मोबाइल फोल्डर एवं घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनाँक 03.09.2026 को वादी मुकदमा त्रियुगी नारायण पुत्र वृजवली निवासी ऊनखास थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा दी गई तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्तगणो के विरुद्ध मोबाइल की दुकान से धोखाधड़ी कर सामान लेकर फर्जी पेमेंट करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराय गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमे में वांछित दोनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 17 अदद मोबाइल फोल्डर एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद करते हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी का विवरण-

- 17 अदद मोबाइल फोल्डर
- 01 अदद घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल नं0 UP58AN 6163

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री लालबिहारी निषाद, हे0का0 सम्पूर्णानन्द, का0 जितेन्द्र कुमार सोनी, का0 आदर्श कुमार।